रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 <u>REGD. No. D. L.-33004/99</u>



सी.जी.-डी.एल.-अ.-06052025-262927 CG-DL-E-06052025-262927

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1977]

No. 1977]

नई दिल्ली, मंगलवार, मई 6, 2025/वैशाख 16, 1947 NEW DELHI, TUESDAY, MAY 6, 2025/VAISAKHA 16, 1947

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 5 मई, 2025

का.आ. 2021(अ).—भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 (2016 का 11) की धारा 17 और धारा 25 की उपधारा (3) के साथ पठित धारा 16 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और एल्यूमीनियम और एल्यूमीनियम एलॉय उत्पाद (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2024, के अधिक्रमण में, सिवाय ऐसे कार्यों के जो अधिक्रमण से पहले किए गए अथवा जिन्हें किये जाने से छोड़ दिया गया, केंद्र सरकार का, भारतीय मानक ब्यूरो से परामर्श करने के बाद यह मत है कि यह जनहित में आवश्यक अथवा हितकर है, अत: एतद्वारा निम्नलिखित आदेश करती है, नामत:-

- 1. संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभ (1) इस आदेश को एल्यूमीनियम और एल्यूमीनियम एलॉय उत्पाद (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2025 कहा जाएगा।
- (2) यह आदेश 1 अक्टूबर, 2025 से लागू होगा।
- 2. मानक चिह्न का अनिवार्य प्रयोग नीचे दी गई तालिका के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट वस्तुएं या सामान उक्त तालिका के कॉलम (3) में उल्लिखित तदनुरूपी भारतीय मानक के अनुरूप होंगे तथा उनमें भारतीय मानक ब्यूरो (अनुपालन

2975 GI/2025 (1)

मूल्यांकन) विनियम, 2018 की अनुसूची-II की स्कीम-I के अनुसार भारतीय मानक ब्यूरो के लाइसेंस के तहत मानक चिह्न लगा होगा।

बशर्ते कि इस आदेश में से कुछ भी निर्यात की जाने वाली स्वदेश में विनिर्मित वस्तुओं या सामान पर लागू नहीं होगा।

इसके अलावा यह भी प्रावधान है कि सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 (2006 का 27) के तहत परिभाषित सूक्ष्म उद्यम और लघु उद्यम, तालिका के कॉलम (6) और (7) के तहत संबंधित प्रविष्टि में निर्दिष्ट तारीख से ऐसे भारतीय मानकों के अनुरूप होंगे और सामान्य (सूक्ष्म और लघु उद्यमों के अलावा) क्रमशः कॉलम (5) के तहत संबंधित प्रविष्टि में निर्दिष्ट तारीख से ऐसे भारतीय मानकों के अनुरूप होंगे:

बशर्ते यह भी कि इस आदेश की कोई बात एल्यूमीनियम उत्पादों के विनिर्माताओं द्वारा अनुसंधान और विकास के प्रयोजन हेतु प्रति वर्ष दो सौ किलोग्राम तक आयातित वस्तुओं या सामानों पर इस शर्त के साथ लागू नहीं होगी कि -

- (क) ऐसे आयातित वस्तुओं और सामानों को वाणिज्यिक रूप से नहीं बेचा जाएगा और इनका स्क्रैप के रूप में निपटान किया जाएगा: और
- (ख) विनिर्माता ऐसे आयातित वस्तुओं और सामानों का वर्ष-वार रिकॉर्ड रखेगा और इसे अपने प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा विधिवत् हस्ताक्षरित अपने लेटर हेड पर केन्द्र सरकार को प्रस्तुत करेगा।
- 3. प्रमाणन और प्रवर्तन प्राधिकरण भारतीय मानक ब्यूरो तालिका में विनिर्दिष्ट वस्तुओं या सामान के लिए प्रमाणन और प्रवर्तन प्राधिकरण होगा।
- 4. उल्लंघन के लिए पेनल्टी इस आदेश के प्रावधानों का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति को भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 के प्रावधानों के तहत दंडित किया जाएगा।

तालिका

क्रम	वस्तु या	भारतीय	भारतीय मानक का	सामान्यतः	सूक्ष्म उद्यमों के	लघु उद्यमों के
सं.	सामान	मानक	शीर्षक	कार्यान्वयन की	लिए कार्यान्वयन	लिए
				तिथि (सूक्ष्म एवं	की तिथि	कार्यान्वयन की
				लघु उद्यमों को		तिथि
				छोड़कर)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1		7092 (भाग	सिंचाई प्रयोजनों के	1 अक्तूबर,	1 अप्रैल, 2025	1 जनवरी,
	एल्यूमीनियम	1):1992	लिए एल्यूमीनियम	2025		2026
	और	.,	एलॉय ट्यूब्स -			2020
	एल्यूमीनियम		वेल्डेड ट्यूब्स			
2	एलॉय उत्पाद	7092 (भाग	सिंचाई प्रयोजनों के			
	·	2):1987	लिए एल्यूमीनियम			
		_,	एलॉय ट्यूब्स -			
			वेल्डेड ट्यूब्स			
3		5484:1997	सतत कास्टिंग और			
			रोलिंग द्वारा निर्मित			
			ईसी ग्रेड			
			एल्यूमीनियम रॉड			
4		733:1983	रॉट एल्यूमीनियम			
			और एल्यूमीनियम			
			एलॉय बार, छड़ें			
			और अनुभाग			
			(सामान्य			
			र <u>ं</u> इंजीनियरिंग			
			उद्देश्यों के लिए)			
5		734:1975	सामान्य			
			इंजीनियरिंग			

			=
		प्रयोजनों के लिए	
		रॉट एल्यूमीनियम	
		और एल्यूमीनियम	
		एलॉय, फोर्जिंग	
		· ·	
		स्टॉक और फोर्जिंग	
6	736:1986	सामान्य	
		इंजीनियरिंग	
		प्रयोजनों के लिए	
		रॉट एल्यूमीनियम	
		और एल्यूमीनियम	
		एलॉय प्लेट	
7	737:2008	सामान्य	
		इंजीनियरिंग	
		प्रयोजनों के लिए	
		रॉट एल्यूमीनियम	
		और एल्यूमीनियम	
		एलॉय शीट और	
		स्ट्रीप	
8	739:1992		
	109.1992	इंजीनियरिंग	
		प्रयोजनों के लिए	
		रॉट एल्यूमीनियम	
		और एल्यूमीनियम	
		एलॉय के तार	
9	740.4077	सामान्य	
	740:1977	इंजीनियरिंग	
		प्रयोजनों के लिए	
		रॉट एल्यूमीनियम	
		और एल्यूमीनियम	
		एलॉय रिवेट स्टॉक	
40			
10	5082:1998		
		के लिए रॉट	
		एल्यूमीनियम और	
		एल्यूमीनियम	
		एलॉय बार, छड़ें,	
		ट्यूब, अनुभाग,	
		प्लेट और शीट	
11	16011:201	, ,	
' '	10011.201	2 गैगेगोरपूर्वार्वार पैकेजिंग के लिए	
		एल्यूमीनियम और	
		एल्यूमीनियम	
		एलॉय फॉयल	
10	,		
12	17682:202		
40		कम्पोजिट पैनल	
13	1285:2002	रॉट एल्यूमीनियम	
		और एल्यूमीनियम	
		एलॉय - सामान्य	

		इंजीनियरिंग
		प्रयोजनों के लिए
		एक्सटूडेड राउण्ड
		ट्यूब और हॉलो
		सेक्शन
14	2067:1975	विद्युत प्रयोजनों के
		लिए रॉट
		एल्यूमीनियम तार
15	21:1992	बर्तनों के निर्माण के
		लिए रॉट
		एल्यूमीनियम और
		एल्यूमीनियम
		एलॉय
16	1254:2007	कॉरूगेटेड
		एल्यूमीनियम शीट
17	7902:2001	एरोस्पेस अनुप्रयोगों
		के लिए
		एल्यूमीनियम
		एलॉय फोर्जिंग
		स्टॉक और फोर्जिंग
		(एलॉय 24343)।

नोट: इस तालिका के प्रयोजन के लिए, भारतीय मानकों के संबंध में जारी संशोधनों सहित उनके नवीनतम संस्करण, जैसा कि भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा समय-समय पर अधिसूचित किए गए हैं, लागू होंगे।

> [फा.सं.पी-29026/7/2023–एलईआई] संजीव, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY (Department For Promotion Of Industry And Internal Trade) ORDER

New Delhi, the 5th May, 2025

S.O. 2021(E).— In exercise of the powers conferred section 16 read with section 17 and sub-section (3) of section 25 of the Bureau of Indian Standards Act, 2016 (11 of 2016) and in supersession of the Aluminium and Aluminium Alloy Products (Quality Control) Order, 2024, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government, after consulting the Bureau of Indian Standards, is of the opinion that it is necessary or expedient so to do in the public interest, hereby makes the following Order, namely:-

- **1. Short title and commencement.** (1) This Order may be called the Aluminium and Aluminium Alloy Products (Quality Control) Order, 2025.
- (2) It shall come into force with effective from the 1st day of October, 2025.
- 2. **Compulsory use of Standard Mark.** Goods or articles specified in column (2) of the Table below shall conform to the corresponding Indian Standard given in column (3) of the Table and shall bear the Standard Mark under a license from the Bureau as per Scheme-I of Schedule-II of the Bureau of Indian Standards (Conformity Assessment) Regulations, 2018:

Provided that nothing in this Order shall apply to goods or articles manufactured domestically for export:

Provided further that the micro enterprises and small enterprises, as defined under the Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006 (27 of 2006) shall conform to such Indian Standards from the date specified in the corresponding entry under columns (6) and (7) of the Table and for general (other than micro and small enterprises) shall conform to such Indian Standards from the date specified in the corresponding entry under column (5) respectively:

Provided also that nothing in this Order shall apply to the goods or articles imported up to two hundred kilograms for the purpose of research and development by manufacturers of Aluminium products per year with the condition that,—

- (a) such imported goods and articles shall not be sold commercially, and shall be disposed of as a scrap; and
- (b) the manufacturer shall maintain year-wise record of such imported goods or articles and furnish the same to the Central Government on in its letter head duly signed by its authorised signatory.
- **3. Certification and enforcement authority.**—The Bureau shall be the certifying and enforcing authority for the goods or articles specified in the Table.
- **4. Penalty for contravention**. Any person who contravenes the provisions of this order shall be punishable under the provisions of the Bureau of Indian Standards Act, 2016.

TABLE

Sl. No.	Goods or articles	Indian Standard	Title of Indian Standard	Date of implementation in general (other than micro and small enterprises)	Date of implementation for micro enterprises	Date of implementation for small enterprises
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Aluminium and aluminium alloy products		Aluminium alloy tubes for irrigation purposes –welded tubes	October, 2025	1 st April, 2026	1 st January, 2026
2.			Aluminium alloy tubes for irrigation purposes —welded tubes			
3.		5485:1997	EC grade aluminium rod produced by continuous casting and rolling			
4.		733:1983	Wrought aluminium and aluminium alloy bars, rods and sections (for general engineering purpose)			
5.		734:1975	Wrought aluminium and aluminium alloys, forging stock and forgings for general engineering purposes.			
6.		736:1986	Wrought aluminium and aluminium alloy plate for general engineering purposes			
7.		737:2008	Wrought aluminium and aluminium alloy sheets and strip for general engineering purposes			
8.			Wrought aluminium and aluminium alloy wire for general engineering purposes			
9.		740:1977	Wrought aluminium and aluminium alloy rivet stock for general engineering purposes.			
10.		5082:1998	Wrought aluminium			

		and aluminium alloy bars, rods, tubes, sections, plates and sheets for electrical appliances
11.	16011:20	Aluminium and aluminium alloy foil for pharmaceutical packaging
12.	17682:202	Aluminium composite panel
13.	1285:2002	Wrought aluminium and aluminium alloys-extruded round tube and hollow section for general engineering purpose
14.	2067:197:	Wrought aluminium wire for electrical purposes
15.	21:1992	Wrought aluminium and aluminium Alloys for manufacture of utensils
16.	1254:200	7 Corrugated aluminium sheet
17.	7902:200	Aluminium alloy forging stock and forgings (alloy 24343) for aerospace appliances

Note:- For the purposes of this Table, the latest version of Indian Standards including the amendments issued thereof, as notified by the Bureau from time to time shall apply.

[F. No. P-29026/7/2023-LEI] SANJIV, Jt. Secy.